भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3880

जिसका उत्तर सोमवार, 14 अगस्त, 2014 को दिया जाना है

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड हेतु पुनरूत्थान योजना

3880. डा. चंदन मित्रा:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (एसआईएल) के लिए कोई पुनरुत्थान योजना तैयार की है, यदि हां, तो इस पुनरुत्थान योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने एसआईएल हेतु किसी कार्यनीतिक साझेदार की पहचान की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा एसआईएल की पुनरुत्थान योजना के तुरंत एवं समयबद्ध कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री

(श्री पोन्. राधाकृष्णन)

(क): जी, हां। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के लिए मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 31.01.2013 को हुई अपनी बैठक में एक पुनरुद्धार योजना अनुमोदित की गई थी।

पुनरुद्धार योजना की मुख्य विशेषताओं में, अन्य बातों के साथ-साथ, ₹90.38 करोड़ का निवेश करना (पूंजीगत व्यय के लिए इक्विटी के रूप में ₹70.38 करोड़ और कार्यशील पूंजी के लिए ब्याज मुक्त योजनागत ऋण के रूप में ₹20 करोड़), ₹85.21 करोड़ के योजनागत/गैर-योजनागत ऋण का इक्विटी में परिवर्तन करना, ₹26.37 करोड़ के ब्याज की माफी, लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों में छूट देते हुए अधिवार्षिता आयु को 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष करना और उनके (डीपीई) दिशा-निर्देशों के अनुसार 2007 के वेतनमान को लागू करना है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): मंत्रिमंडल के दिनांक 31.01.2013 के निर्णय तथा बीआईएफआर द्वारा पारित आदेशों के अनुसरण में, इक्विटी के रूप में ₹70.38 करोड़ में से ₹31.90 करोड़ की सीमा तक निधियों का निवेश करने, कार्य क्षमता हेतु ब्याज मुक्त योजनागत ऋण के रूप में ₹20 करोड़ के प्रावधान, ₹26.37 करोड़ की ब्याज माफी, ₹85.21 करोड़ के योजनागत/गैर-योजनागत ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करने आदि हेतु सरकार द्वारा वित्तीय स्वीकृतियां पहले ही जारी कर दी गई हैं।

*****